कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स 0755-2557452 ई-मेल srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि1/स-1/डी-1555

दिनांक 30-11-2021

परिपत्र

विषय:- वार्षिक स्थानांतरण 2022 हेतु नवम्बर 2018 से नवम्बर 2021 तक संभागीय लेखा अधिकारियों द्वारा संभाग में अपने कर्तव्यों के दौरान पास किये गए बिलों की संख्या की जानकारी तथा संभाग के अन्तर्गत उप-संभागों की संख्या की जानकारी भेजने बाबत।

वार्षिक स्थानांतरण संबंधी मुख्यालय कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 502-staff (Appt)/131- 2015 दिनांक 20-03-2015 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के 1(a) (i) (ii) के तहत प्रत्येक 3 वर्ष में स्थानान्तरण से संबंधित संभागों के वर्क लोड का निर्धारण/पुनर्निर्धारण किया जाना है। इस हेतु पूर्व में परिपत्र क्रमांक/नि.वि1/स-1/डी-1515 दिनांक 25-11-2021 द्वारा समस्त संभागीय लेखा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वह वर्तमान संभाग में अपनी पदस्थापना अवधि से अभी तक अपने कर्तव्यों के दौरान पास किये गए बिलों की संख्या की जानकारी (माहवार) तथा संभाग के अन्तर्गत उप-संभागों की संख्या की जानकारी, साथ ही आपके संभागीय कार्यालय की निविदा समितियों की संख्या, जिसमे आपकी भागीदारी (समिति के सदस्य के रूप में) हो, की जानकारी एवं इसी प्रकार संभागीय क्रय समितियों की संख्या, जिसमे आपकी सदस्य के रूप में भागीदारी हो, की जानकारी, ई-मेल के माध्यम से कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। **इस बाबत पुनः समस्त संभागीय लेखा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह नवम्बर 2018 से माह नवम्बर 2021 तक की अवधि की उक्त जानकारी 5 कार्य दिवस के अन्दर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।** जिन संभागीय लेखा अधिकारियों के पास अन्य संभाग का अतिरिक्त/ सुपरवाईजरी प्रभार भी है, वह अतिरिक्त/ सुपरवाईजरी प्रभार वाले प्रभार की भी जानकारी भेजें।

(प्राधिकार:- वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले.) के आदेश दिनांक 30-11-2021)

30/11/2021

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

प्रति,

(1) समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी,
संभागीय लेखा अधिकारी-1 एवं 2 एवं
संभागीय लेखापाल

(2) समस्त संभागीय अधिकारी